20/2/18 पत्रावली पेश / नेमुलाहजा / प्र० सं० 12/16
नीचे लिखे वकालतनामों में उपस्थित होना पेश नहीं हुआ है
अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में
लाई जाती है / वास्तविक तस्दीक पत्रावली
दिनांक 24/4/18 को पेश हो।

24-4-18 पत्रावली पेश / नेमुलाहजा उप० / पूर्व नुसार
1-5-18 को पेश हो।

1-5-18 पत्रावली पेश / नेमुलाहजा उप० / पूर्व नुसार दिनांक
3-7-18 को पेश हो।

20-6-18 पत्रावली आज लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम
पंचायत ... न्यायालय पर पेश हुई। वाद /
प्रार्थी ..... प्रतिवादी/अप्रार्थी .....
उप०/पक्षकार ... की भावना से
परस्पर ... कैम्प कोर्ट में पत्रावली
की सुनवाई ... निस्तारी कार्यवाही हेतु पत्रावली
दिनांक 3-7-18 को पेश हो।

03/7/18 आज पत्रावली पेश हुई। वादी
वादी कोई उपस्थित नहीं आये। वाद कार्यवाही
समाप्त हुई। अब भूमि वाद के एकमुश्त
है। अन्तिम वाद आधार लगवाई गई। कोई प्रार्थना
नहीं आया। न ही कोई शीघ्र होना है।
उपरान्त (अतः वादी के वादी की अभिभाषक
द्वारा लिखित रूप में अदम हाजरी अभिभाषक
के विरुद्ध किया गया है। जैसे उक्त कारण होने से
वाद खारिज किया जाता है। दिनांक पत्रावली
नस्ती हो। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०